

Sixteenth Lok Sabha

pan>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2018
(Amendment of article 51A).

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।